न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–97/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. अमरसिंह पुत्र स्व0 सम्पत चमार,
2. बुधराम पुत्र स्व0 सम्पत चमार,
3. मु0 चमेली बेवा स्व0 सम्पत चमार निवासीयान ग्राम रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. रामदेवा पुत्री चिरंजी जाति बलाई निवासी ग्राम पुठी तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
2. दौलत पुत्र गंगाबिशन जाति चमार निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।
3. मु0 धनपति स्त्री दौलत चमार निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।
4. मोहरसिंह पुत्र भौरेलाल जाति बलाई निवासी ग्राम मंगलेशपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री पुष्कर राज मुखीजा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री हीरालाल अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3. रेस्पो0 सं0 2 ल0 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–05.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आंशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 242 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 527 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ़ में स्थित है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी सालिम मिन वादी सं0 1 के पिता व वादी सं0 2 के दादा व वादिनी सं0 3 के ससुर श्री गिरवर पुत्र खवानी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो अपने जीवनकाल तक इस आराजी पर स्वयं काबिज

रहकर काश्त करता रहा और गिरवर के फौत होने पर विवादित आराजी उसकी विरासत से वादीगण को प्रापत हुई है । विवादित आराजी सालिम गिरवर की कब्जे काश्त खातेदारी की थी लेकिन सहवन से कागजात माल में लल्लू पुत्र चन्दू कुम्हार को 1/2 भाग का खातेदार दर्ज कर दिया गया जिसे बाद में शुद्धि पत्र के द्धारा संशोधन करके लल्लू कुम्हार का नाम हटा दिया गया व अकेले गिरवर को ही तन्हा विवादित आराजी का खातेदार दर्ज कर दिया गया जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2050 से साबित है । गिरवर का देहान्त होने पर उसका इन्तकाल विरासत सं0 1063 व 1078 वादीगण के नाम दर्ज व स्वीकार हुआ है व इनका अमल जमाबन्दी सम्वत् 2050 में हुआ है । इस प्रकार विवादित आराजी वादीगण को गिरवर की विरासत से प्राप्त हुई है जिसमें 1/2 भाग का वादी सं0 1 व 1/2 भाग के वादीगण सं0 2, 3 खातेदार काश्तकार हैं व इसी प्रकार शामलात में काबिज रहकर काश्त करते व लगान अदा करते चले आ रहे हैं व आज भी मौके पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है । प्रतिवादीगण का एवं प्रतिवादीगण के पिता चिरंजी का विवादित आराजी से कोई ताल्लुक व वास्ता किसी किस्म का न तो कभी रहा है ना है तथा ना इनका कोई कब्जा काश्त किसी हैसियत से रहा है बल्कि इस आराजी पर पहले गिरवर काश्त करता था व उसकी मृत्यु के बाद से वादीगण काश्त करते हैं । प्रतिवादी सं0 1 के पिता चिरंजी ने एवं प्रतिवादी सं0 2 दौलत ने बतौर बदयान्ति राजस्व कर्मचारियों से साजबाज होकर विवादित आराजी में अपना हक कायम करने की नियत से ख0 नं0 242 पर मार्फत चिरंजी पुत्र भूरिया साल 35 व ख0 नं0 527 पर मार्फत दौलत पुत्र गंगाबिशन जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में अंकित करा लिया जो इन्द्राज गलत है और खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है । वादीगण के हकूकों के मुकाबले बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी है । इन गलत इन्द्राज के कायम रहने से वादीगण के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी जायल होते हैं । इस प्रकार वादीगण उक्त गलत इन्द्राज को कलमजन कराकर उसके बजाय कागजात माल में 1/2 भाग का वादी सं0 1 व 1/2 भाग का वादी सं0 2, 3 को स्वतंत्र रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज कराने का अधिकारी है । साथ ही हम वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म ईम्तनाई दवामी पाबन्द कराना चाहते हैं । अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 30.9.2010 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 30.9.2010 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ तहत न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट के तहत आराजी ख0 नं0 242 व 527 के खिलाफ दावा पेश कर प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कराने की इस्तदुआ की थी । गांव पूठी जागीरदारी का गांव दयालसिंह जागीरदार का था

जिस पर अपीलांट के पिता गिरवर काबिज रहकर काश्त कर रहे थे । सम्वत् 2008 सन् 1952 में लैण्ड रिफोमर्स एण्ड रिजेम्पशन ऑफ जागीर एक्ट लागू हुआ उस समय गिरवर काबिज था । जमाबन्दी सम्वत् 2014 के अनुसार गिरवर चमार उपकृषक के रूप में दर्ज रेकार्ड है । सन् 1952 में लैण्ड रिफोमर्स एण्ड रिजेक्शन ऑफ जागीर एक्ट सम्वत् 2008 में लागू हुआ तो सबसे पहले 2014 की जमाबन्दी बन्दोबस्त ने बनायी । इसमें गिरवर पुत्र खवानी कौम चमार सा0 रामगढ़ का नाम लिखा हुआ है । इसमें जागीरदार का नाम था । उस समय गिरवर कब्जे काश्त में था । अतः वह खातेदार हो गया । गिरवर के दो पुत्र थे जो अब वारिसान अपीलांट हैं । गिरवर तन्हा खातेदार है और किसी का नाम नहीं है । बाद में लल्लू कुम्हार ने 1/2 हिस्सा अपने नाम दर्ज कराया जिसका शुद्धि पत्र करवाया और सारी जमीन अपीलांट के नाम हो गई । रेस्पो0 रामदेवा के पिता चिरंजी था । चिरंजी ने कर्मचारियों से साजबाज होकर स्वयं का नाम मार्फत के रूप में लिखवा लिया । ख0 नं0 524 में दौलत पुत्र गंगाबिशन ने नाम लिखवा लिया । इसके विरूद्ध तहत न्यायालय में दावा किया जिसमें स्थाई निषेधाज्ञा लगायी वह दावे के निस्तारण तक कन्फर्म हुआ । तहत न्यायालय में दौलत व बिशन की एक्सपार्टी हो गयी तथा रामदेव की ओर से पैरवी की गयी है । जमाबन्दी में गिरवर का नाम है जिसमें मार्फत लिखवा दिया इसलिए यह विवाद हुआ है । इसं गलत इन्द्राज को हटाने हेतु तहंत न्यायालय में दावा पेश किया तथा गवाह व सबूत भी पेश किये परन्तु तहत न्यायालय ने गलत निर्णय पारित कर दिया । तहत न्यायालय ने दावे व जवाब दावे के आधार पर कोई तनकीयात कायम नहीं की तथा न ही उनका कोई विवेचन किया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया ।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 का कथन है कि रेस्पो0 के पिता चिरंजी पुत्र भूरिया जाति बलाई ने नायब तहसीलदार को घटना बही पेश की और कहा कि ख0 नं0 242 रकबा 3.10 बीघा में प्रार्थी चिरंजी का कब्जा काश्त है तथा लगान देते हैं । अतः पट्टा दिया जावें । यह प्रार्थना पत्र दि0 1.12.1968 को दिया गया । अतः दि0 1.12.1968 की घटना बही में इन्द्राज उक्त अपील में आया है । सन् 1968 से पूर्व 12 वर्ष से कब्जा था । सन् 1956 से कब्जा है । इसलिए चिरंजी ने पट्टा मांगा । दावा वादी का ही था इसलिए अपीलांट को ही दावा सिद्ध करना चाहिए । इसी दौरान 212 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर में रामदेव ने की जिसमं राजीनामा हुआं उसे तस्दीक किया गया । उसमें भी अभिभाषक अपीलांट स्वयं उपस्थित थे । राजीनामा अदालत द्वारा तस्दीक किया गया है जिसकी प्रतिलिपि दिलवाई और पेश की उसमें लिख दिया कि रामदेव खातेदार है उसी का कब्जा काश्त है । राजीनामा के आधार पर ही दि0 6.2.2002 को निर्णय हुआ है । इसके बाद वादी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की तथा न ही प्रदर्शित करवाये क्योंकि प्रकरण में राजीनामा हो गया था । वादी को स्वयं अपना वाद में प्रदर्शित कराना चाहिए था । वादी तहत न्यायालय में दस्तावेज पेश करते और साक्ष्य करवाते । अतः वादी की स्वयं की जिम्मेदारी थी उस रीलीफ को अब यहां नहीं मांग सकते हैं । अपीलांट ने राजीनामा को फ्रोड नही बताया उसकी कोई अपील नहीं की । अब तथ्यहीन बिन्दु उठा रहे हैं कि प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री सही है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.9.2010 का अवलोकन किया ।

तहत अदालत के आदेश का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार विवादित आराजी के संबंध में जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनको प्रदर्शित करने बाबत साक्ष्य नहीं ली गयी तथा न ही दावा व जवाब दावा के आधार पर तनकीयात ही कायम की गयी । अपीलांट अभिभाषक का यही मुख्य उज्र है कि उन्हें रेकार्ड व साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया और न ही वाद में तनकीवार निर्णय किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करके प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अभिभाषक का मुख्य जवाब बिन्दू ये है कि प्रकरण में उभयपक्षों में राजीनामा हो गया । इसलिए वादी स्वयं वाद नहीं चलाना चाहते थे । रेकार्ड और साक्ष्य की स्वयं अपीलांट/वादीगण की ड्यूटी थी, पर उन्होंने जानबूझकर पेश नहीं किया । अन्त में रेस्पो0 का विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि अपील अपीलांट काबिल खारिजी के हैं और यदि प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है तो पूर्व में राजीनामा को भी रेकार्ड पर लिया जावे ।

पत्रावली के उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवलोकन किया और प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया गया ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.9.2010 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट व रेस्पो0 को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/7/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर